

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांक :—प1(1) कार्मिक/नि.चि./31/07/ ३७९५-

दिनांक:— ०६/०३/०८

—: कार्यालय—आदेश :—

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम 1970 के अन्तर्गत हाऊसिंग बोर्ड कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुये शारदा नर्सिंग होम (SARDA NURSING HOME), डा. रामविलास शारदा मार्ग, 39 हास्पिटल रोड, जयपुर को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता दी जाती है। उक्त चिकित्सालय द्वारा कुल देय बिल पर 10 प्रतिशत की छूट देय होगी।

उक्त आदेश को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मण्डल के निर्णय की पूर्व अपेक्ष में जारी किया जाता है।



सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु :—

1. प्रमुख निजी सचिव— श्री/आवा.आयुक्त/मुख्य अभियंता ।।। राज0आ0म0..... जयपुर।
2. व0नि0स0—सचिव/।।। ३० एवं मुख्यलखाधिकारी, राज0आ0मण्डल, जयपुर।
3. अति० मुख्य अभियंता ।।। राज0आ0मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
4. उप आवासन आयुक्त रा०आ०म0.....
5. आवासीय अभियंता ।।। रा०आ०म0.....
6. विशेषाधिकारी—अध्यक्ष राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. शारदा नर्सिंग होम, ३९ हास्पिटल रोड, जयपुर
8. समस्त प्रकोष्ठ मुख्या ।।। राज0आ०मण्डल, जयपुर।
9. नोटिस बोर्ड / रक्षित शब्दली